कार्यालय परियोजना महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

1039–शिक्षक कालोनी दक्षिणी सिविल लाईन्स मुजफ्फरनगर – 251001
E-Mail- upshamzn@gmail.com

पत्रांकः– 862 /NOC/उपशा/MZN/2017–18 दिनांक :– 20 /03/2018

सेवा में,

श्रीमान अनुपम श्रीवास्तव,
सहायक प्रबन्धक गैस,
भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि0,
28–ए0ई0सी0 हाऊस, कस्तूरबा गॉधी मार्ग,
नई दिल्ली– 110001 .

विषयः– **Permission for laying 8"dia Natural Gas Pipe line Along with 15 mm dia OFC along the D-S-Y Road (SH-57 (NH 709B)) between ch. 151.800 to 155.400 from I.P. Yojna CNG Station to Mandols.**

सन्दर्भः– 1– सदस्य (वित्त), उपशा, लखनऊ का इस कार्यालय को प्रेषित एवं सदस्य (तकनीकी) को पृष्ठांकित पत्रांक 2754/प्रावि0–18(1)/NOC/DSY/2017–18/उपशा/ लखनऊ दिनांक 19.03.2018

2– आपका पत्रांक **BPCL-CGD/SRE/Pay/UPSHA Dt. 15-12-2017.**

महोदय,

आप द्वारा अपने सन्दर्भित पत्र (सन्दर्भ–2) के माध्यम से दिल्ली–सहारनपुर–यमुनौत्री (SH-57 (NH 709B)) मांर्ग के चैनेज 151.800 से 155.400 के मध्य 8" डाया नैचुरल गैस पाईप लाईन डालने हेतु अनुमति चाही गई है तथा इस हेतु आप द्वारा उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण में रू0 2332800/– का बैंक ड्राफ्ट सं0 35591560821 दिनांक 07.12.2017 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में जमा किया गया है।

वर्तमान में यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के फलस्वरूप दिनांक 16.01.2018 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तगत कर दिया गया है।

कार्य के महत्व को देखते हुए प्रोफार्मा बिल में दी गई मात्राओं के अनुसार रोड कटिंग की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन मार्ग के केवल कच्चे भाग में ROW के किनारे 8" डाया गैस पाईप लाईन डालने की अनुमति प्रदान की जाती है, शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा आपके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगीः–

1. पाईप लाईन मार्ग के मध्य भाग से कम से कम 15.00 मी0 की दूरी पर अथवा विभागीय मार्ग के किनारे पर ही डाली जायेगी। इससे अधिक कार्य कदापि नहीं कराया जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को लिखित सूचना देनी होगी।
3. रोड कटिंग का मलबा लेपित मार्ग पर एकत्रित न करके कार्य इस प्रकार कराया जाये कि यातायात में बाधा उत्पन्न न हो।
4. सभी प्रकार सुरक्षात्मक उपाय, जैसे वैरियर, झन्डी, लालटेन आदि की व्यवस्था आप स्वयं करेगें।
5. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
6. मार्ग के जंक्शन आदि पर यदि किसी अन्य विभाग/संस्था की भूमि पडती है तो उसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग से अलग से लेनी होगी।
7. इस मार्ग पर अन्य विभागों की केबिल/पाईप लाईन आदि बिछी हो सकती है, कार्य इस प्रकार कराया जाये की उन्हें कोई क्षति न पहुचें। किसी प्रकार की क्षति के लिए, आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

(आर0 बालाचन्द्रन)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग

1 MZN 20180301

8. वाटर, सीवर गैस एवं बिजली आदि की लाईन पडने पर उसे कोई क्षति न पहुचें। क्षति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
9. यदि भविष्य में मार्ग का चौडीकरण/सुदृढीकरण के कार्य में यदि पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा एवं पाईप लाईन को स्वयं के खर्चे पर स्थानान्तरित किया जायेगा।
10. विषयगत कार्य हेतु पेन्टिड मार्ग को कदापि नहीं काटा जायेगा। यदि कार्य के दौरान कहीं ऐसी स्थिति आती है तो केवल एच0डी0डी0 विधि द्वारा ही कार्य सम्पादित कराया जा सकता है।
11. उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन करने पर उपरोक्त अनुमति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
12. समस्त कार्य आई0आर0सी0 की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जायेगें।
13. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि आपके विभाग द्वारा अन्य कोई गैस पाईप लाईन डाली नहीं गयी हो। यदि पूर्व में डाली गयी गैस पाईप लाईन को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिए भारत का राजपत्र में वर्णित The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act 2008 Date 31-05-2006 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय
2/03/18
(सर्वेश कुमार हरित)
महाप्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
मुख्यालय, गाजियाबाद

पत्रांकः– / /उपशा/MZN/2017–18 दिनांक :– /03/2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. सदस्य (प्रशासन)/सदस्य (वित्त), उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
2. सदस्य (तकनीकी), उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
3. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दिल्ली–सहारनपुर रोड (709बी) ए–1, बैष्णव धाम (निकट गायत्री हाईट) कंकरखेडा, मेरठ बाईपास, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि रोड कटिंग चार्जेज, उपशा कार्यालय में जमा है तथा मॉग करने पर आपको उपशा मुख्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करा दिये जायेगें।

प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर

(सर्वेश कुमार हरित)
महाप्रबन्धक
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
मुख्यालय, गाजियाबाद